



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 181] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 22, 1991/चैत्र 1, 1913
No. 181] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 22, 1991/CHAITRA 1, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 22 मार्च, 1991

अधिसूचना

का.आ. 205 (अ).—मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 58 की उप धारा
(i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा दिनांक 9 जून, 1989 को भारत के
असाधारण राजपत्र के भाग II, खंड 3(ii) में प्रकाशित भारत सरकार जल-भूतल परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना
सं. का.आ. 416 (अ) दिनांक 8 जून, 1989 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

804 GI/91

(1)

उक्त अधिसूचना की सारणी में "8 टायर वाला टैंडम धुरी" के बाद निम्नलिखित मद शामिल की जाएगी, अर्थात् :—

"12 टायर युक्त 24 टन का तीन धुरी ट्रेलर"

[फा. सं. आर टी-11042/13/90 टी ए जी]

जी.के. पिल्लै, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March, 1991

S.O. 205(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 58 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport No. S.O. 416(E) dated 8th June, 1989 published in the Gazette of India, extraordinary Part II, Section 3(ii) dated 9th June, 1989, namely :—

In the Schedule to the said notification, after the item 'Tandom Axle fitted with 8 Tyres', the following item shall be inserted, namely :

"Three axle trailer fitted with 12 tyres	Tonnes 24"
---	---------------

[F. No. RT-11042/13/90-TAG]

G. K. PILLAI, Jt. Secy.